

>

Title: Need to include Bhojpuri language in the Eighth Schedule of the constitution.

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं इसी सीट से बोलना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बोलिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, दुनिया में रहने वाले 17 देशों के 25 करोड़ भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोगों का यह मामला है। इस मामले को मैं सदन में पहली बार नहीं उठा रहा हूँ और न ही मैं पहला सदस्य हूँ जिसने इस मामले को उठाया है। कई सदस्यों ने इस मामले को कई बार उठाया है। हमारी जानकारी के अनुसार पांच बार भारत सरकार के मंत्री इस विषय में आश्वासन दे चुके हैं। वर्ष 2004 में, 2006 में, 2007 में, 2010 में, 2012 में और आज हम इस सवाल को 2014 में फिर उठा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अष्टम अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल करने के लिए कई मंत्रियों का आश्वासन मिला और यह कहा गया कि अगले सत्र में शामिल कर लिया जाएगा। कभी कहा गया कि शीघ्र विधेयक सदन में रखा जाएगा। हम समझते हैं कि सदन में अगर कोई मंत्री सरकार की तरफ से आश्वासन देता है, तो यह माना जाता है कि यह काम होने वाला है। यह सवाल पच्चीस करोड़ लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और न सिर्फ बिहार में भोजपुरी भाषा बोली जाती है, बल्कि देश के जितने भी बड़े-बड़े शहर हैं, जितने भी औद्योगिक शहर हैं, देश का कोई भी हिस्सा नहीं बचा है, जहां भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग न रहते हों। दुनिया के 17 देश ऐसे हैं, जहां भोजपुरी भाषा बोलने वालों की आबादी है। आज भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग गुरुसे में हैं और इस गुरुसे का परिणाम दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने देखा है कि अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति को दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता ने बना दिया, इसलिए क्योंकि बराबर ये दोनों पार्टियां 25 करोड़ लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करती आ रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भाषा बहुत समृद्ध है और बहुत मीठी भाषा भी है। आज की तारीख में सिनेमा जगत के व्यवसाय में यह भाषा हिंदी के बाद सबसे बड़ा स्थान भी बनाए हुए है। इसके पत्र-पत्रिका, अखबार निकलते हैं। बिहार में, उत्तर प्रदेश में इस भाषा की पढ़ाई भी कराई जाती है। दिल्ली में एकादमी भी बनाई गई है, लेकिन सिर्फ एकादमी बना दिया गया और इसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि भोजपुरी भाषा को अष्टम सूची में शामिल न किया जाए। गृह मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। संयोग से सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री सदन में उपस्थित हैं। पूर्व के मंत्रियों का जो आश्वासन है, हम चाहते हैं कि आपके निर्देशानुसार भारत सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री सदन में उपस्थित हैं, तो उस आश्वासन के आलोक में, चूंकि हम यह नहीं कह सकते कि इस सत्र में आने वाला है, यह भी नहीं कह सकते कि सरकार कब लाने वाली है, लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि आपके आसन से या मंत्री जी की जुबान से यह सदन, पूरा देश सुने कि भोजपुरी भाषा का अब अपमान नहीं किया जाएगा और भोजपुरी भाषा के साथ राजस्थानी भाषा...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी माननीय सदस्य श्री प्रभुनाथ जी द्वारा उठाए गए मुद्दे से अपने आपको सम्बद्ध करना चाहते हैं, वे लिखित में दें।

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, एक तरह से पूरे सदन की सहमति है और पूरे सदन की तरफ से हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप स्वयं या माननीय मंत्री जी को निर्देशित करें कि सदन को आश्वस्त किया जाए कि जब अगली सरकार बने तो पहले सत्र में भोजपुरी भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बी. महताब।

वेदः (व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, न तो आप आसन से कुछ कह रहे हैं और न ही मंत्री जी बोल रहे हैं।...(व्यवधान) आप मंत्री जी को कहिए कि उठ कर आश्वासन जरूर दें।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम उनको नहीं बोल सकते हैं।

वेदः (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :

श्री जगदम्बिका पाल,

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय,

श्री हर्ष वर्द्धन,

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन,

श्रीमती रमा देवी,

श्रीमती पुतुल कुमारी,

श्री उदय सिंह,

श्री जयंत चौधरी,

श्री राकेश सचान,

श्री पी.एल. पुनिया,

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय,

श्री अर्जुन राम मेघवाल,

श्री शैलेन्द कुमार और

श्री कीर्ति आजाद अपने को श्री प्रभुनाथ सिंह द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करते हैं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Deputy Speaker, Sir, I stand here today to speak a few words on the Mother Tongue Day. I want to speak in my own mother tongue. ...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please take your seat.

...(*Interruptions*)